

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि०न० - 229/2021

अनवान :-

1. वसन्त कुमार पुत्र फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।  
:-वादी

बनाम

1. अमरीन वानो पत्नी बाबू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० 15 भादरा।
2. बाबू खॉ पुत्र नत्थू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० 15 भादरा।
3. राजकुमार पुत्र महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
4. विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
5. विनोद देवी पत्नी रिशालसिंह जाति जाट निवासी राजपूरा त० भादरा।
6. शारदा पुत्री महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलीपसिंह झोरड व वकील प्रतिवादीगण श्री दीवानसिंह व लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15 की 7.1440है० वाद भूमि में वादी के नाम 14437/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 अमरीन वानो का 253/1786 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 बाबू खॉ का 24427/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 राजकुमार का 13953/285760 हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 विनोद कुमार का 13953/142880 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 विनोद देवी का 8503/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 शारदा का 13953/285760 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

विनोद देवी पत्नी रिशालसिंह जाति जाट साकिन राजपूरा खातेदार रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/1 की 0.830है० रकबा 0.830है०।

राजकुमार 0.341है० हिस्सा, विनोद का 0.681है० हिस्सा, शारदा का 0.341है० हिस्सा पि० महावीर जाति तारग साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा भादरा खास के खाता

*Kalyan*  
न्यायालय (राजस्व)  
हनुमानगढ़

सं० 69/09 के खसरा सं० 15/2 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/7 की 0.857 है० कुल रकवा 1.363 है०।

मायू खां पुत्र नरथूखां 2.387 है०, अमरीन खां पत्नी मायूखां 0.989 है० जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा भादरा खसरा के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/3 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/6 की 2.718 है०, खसरा सं० 15/8 की 0.152 है०, कुल रकवा 3.376 है०,

वसन्त कुमार पुत्र फूलचन्द जाति ब्राह्मण साकिन खूंगराना खातेदार:- रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/4 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/5 की 0.905 है०, कुल रकवा 1.411 है०

खसरा सं० 15/9 कर 0.184 है० प्रस्तावित रास्ता

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/5/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*Kalpit*  
(कल्पित शिवरान)  
उपप्रमुख अधिकारी (राजस्व), R.A.S.  
उपप्रमुख अधिकारी (संजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान थार, ए.एस.

मि०न० - 229/2021

अनवान :-

1. वसन्त कुमार पुत्र फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी झूगराना तहसील भादरा

:-वादी

वनाम

1. अमरीन वानो पत्नी बाबू खों जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० 15 भादरा।
2. बाबू खों पुत्र नत्थू खों जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० 15 भादरा।
3. राजकुमार पुत्र महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
4. विनोद कुमार पुत्र महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
5. विनोद देवी पत्नी रिशालसिंह जाति जाट निवासी राजपुरा तह० भादरा।
6. शारदा पुत्री महावीर जाति तारग निवासी वार्ड न० 10 भादरा।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री दलीप झोरड वादी  
श्री दिवान सिंह व लिलाधर अग्रवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 21/5/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15 की 7.1440 है० वाद भूमि में वादी के नाम 14437/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 अमरीन वानो का 253/1786 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 बाबू खों का 24427/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 राजकुमार का 13953/285760 हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 विनोद कुमार का 13953/142880 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 विनोद देवी का 8503/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 शारदा का 13953/285760 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय मुख्यास्मत है।

Kalpit  
अधीनस्थ अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला-हनुमानगढ़

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तागिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1-2 तथा 4 ता 6 की ओर जवाब व प्रतिवादी सं० 3 की ओर एड लीलाधर अग्रवाल उपरिथत हुए।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15 की 7. 1440 है० वाद भूमि में वादी के नाम 14437/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 अमरीन बानो का 253/1786 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 बाबू खों का 24427/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 राजकुमार का 13953/285760 हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 विनोद कुमार का 13953/142880 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 विनोद देवी का 8503/71440 हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 शारदा का 13953/285760 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

विनोद देवी पत्नी रिशालसिंह जाति जाट साकिन राजपूरा खातेदार:— रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/1 की 0.830 है०, कुल रकबा 0. 830 है०।

राजकुमार 0.341 है० हिस्सा, विनोद का 0.681 है० हिस्सा, शारदा का 0.341 है० हिस्सा पि० महावीर जाति तारग साकिन भादरा खातेदार:— रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/2 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/7 की 0.857 है० कुल रकबा 1.363 है०।

बाबू खां पुत्र नत्थूखां 2.387 है०, अमरीन खां पत्नी बाबूखां 0.989 है० जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:— रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/3 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/6 की 2.718 है०, खसरा सं० 15/8 की 0. 152 है०, कुल रकबा 3.376 है०,

बसन्त कुमार पुत्र फूलचन्द जाति ब्राह्मण साकिन डूंगराना खातेदार:— रोही मौजा भादरा खास के खाता सं० 69/09 के खसरा सं० 15/4 की 0.506 है०, खसरा सं० 15/5 की 0.905 है०, कुल रकबा 1.411 है०

खसरा सं० 15/9 कर 0.164 है० प्रस्तावित रास्ता

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै0मु0 खाला रास्ता व किसम भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...२१/५/२०१८... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवाजी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
R.A.S